रजिस्ट्री सं. डी. (डी.)-72 REGISTERED No. D. (D.)-72

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण
EXTRAORDINARY

भाग I—खण्ड 1
PART I—Section 1

प्राधिकार से प्रकाशित
PUBLISHED BY AUTHORITY

सं० 159] नई दिल्ली, सोमवार, अगस्त 18, 1980/श्रावण 27, 1902
No. 159] NEW DELHI, MONDAY, AUGUST 18, 1980/SRAVANA 27, 1902

इस भाग में भिन्न पृष्ठ संख्या दी जाती है जिससे कि यह अलग संकलन के रूप में रखा जा सके
Separate paging is given to this Part in order that it may be filed as a separate compilation

वित्त मंत्रालय
(सरकारी उद्यम कार्यालय)
संकल्प

नई दिल्ली, 12 अगस्त, 1980

सं. एफ. पी. आर./53/79-उत्पादन :—सरकार इस बात से चिन्तित है कि सरकारी उद्यमों का वास्तविक एवं वित्तीय कार्य-निष्पादन आशा के अनुरूप नहीं रहा । देश के आर्थिक विकास के अन्तर्गत सरकारी क्षेत्र की महत्वपूर्ण भूमिका को ध्यान में रख कर सरकारी उद्यमों में कार्यकुशलता, उत्पादन एवं आन्तरिक संसाधनों का सृजन आवश्यक है ।

2 सरकारी क्षेत्र के अन्तर्गत अन्य बातों के साथ-साथ प्रमुख समस्याएं हैं—प्रबन्धकीय एवं संगठनात्मक क्षेत्रों की स्थापना, उत्पाद मिश्र एवं प्रदत्त सेवाओं की रूपरेखा, विभिन्न कार्य क्षेत्रों में प्रबन्ध प्रणालियां, जैसे उत्पादन, आयोजन एवं नियंत्रण, सामग्री प्रबन्ध, वित्तीय प्रबन्ध, प्रबन्धकीय पदारोहण व्यवस्था सहित कार्मिक प्रबन्ध तथा औद्योगिक सम्बन्ध, विपणन प्रबन्ध और मूल्य निर्धारण एवं लागत नीतियों तथा कार्यनिष्पादन सम्बन्धी कसौटी । इनमें से कुछ या अनेक समस्याओं का विभिन्न उद्यमों पर न्यूनाधिक असर दिखाई पड़ता है । अतः सरकारी क्षेत्र के उद्यमों का कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए प्रत्येक उद्यम की समस्याएं छांटने तथा सुधारात्मक कार्रवाई का समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करने के लिए उसके बारे में अध्ययन करना नितांत महत्वपूर्ण है । तदनुसार सरकार ने एक विशेषज्ञ समिति गठित करने का निश्चय किया, जिसके सदस्यों के नाम इस प्रकार हैं :—

(1) श्री मोहम्मद फ़ज़ल, अध्यक्ष
सदस्य, योजना आयोग

(2) श्री के. एस. राजन, सदस्य
महानिदेशक, तकनीकी विकास एवं
सचिव, तकनीकी विकास विभाग,

(3) श्री एल. के. बहल, सदस्य
अध्यक्ष एवं प्रबन्ध निदेशक,

इण्डियन ड्रग्स एण्ड फार्मेस्यूटिकल्स लि.,
नई दिल्ली ।

(4) महानिदेशक, सदस्य सचिव
सरकारी उद्यम कार्यालय एवं
अपर सचिव, वित्त मंत्रालय,
व्यय विभाग

3. यह विशेषज्ञ समिति निम्नलिखित उद्यमों के कार्यचालन की जांच करेगी :

1. **कोयला क्षेत्र :**

कोल इण्डिया लिमिटेड और इसकी चार सहायक कम्पनियां अर्थात् भारत कोकिंग कोल लि., सेन्ट्रल कोलफील्ड्स लि., ईस्टर्न कोल्फील्ड लि., वेस्टर्न कोल्फील्ड्स लि. और लिग्नाइट कारपोरेशन भी ।

2. **इस्पात क्षेत्र :**

भारतीय इस्पात प्राधिकरण लिमिटेड (बोकारो, भिलाई, दुर्गापुर, राउरकेला, दुर्गापुर मिश्र इस्पात संयंत्र) और इण्डियन आयरन स्टील कम्पनी भी ।

3. **नौवहन क्षेत्र :**

भारतीय नौवहन निगम और मुगल लाइन्स लिमिटेड

4. **उर्वरक और रसायन क्षेत्र :**

भारतीय उर्वरक निगम (सिन्दरी, गोरखपुर रामगुण्डम और तलचर), हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन (नामरूप और दुर्गापुर), नेशनल फर्टिलाइजर्स लिमिटेड (नांगल, नांगल विस्तार, भटिण्डा और पानीपत), फर्टिलाइजर्स एण्ड केमिकल्स त्रावणकोर (उद्योगमण्डल, कोचीन-1 और कोचीन-2), इण्डियन पेट्रोकेमिकल्स कारपोरेशन लिमिटेड ।

5. **इंजीनियरी क्षेत्र :**

भारी इंजीनियरी निगम, खनन एवं सम्बद्ध मशीनी निगम लि., बर्न स्टेण्डर्ड, ग्रेथवेट एण्ड कं. लि., जेसप एण्ड कं. लि., इण्डियन टेलीफोन इण्डस्ट्रीज ।

4. यह विशेषज्ञ समिति सरकारी उद्यमों का कार्यनिष्पादन सुधारने के लिए आवश्यक सदुपाय निर्धारित करेगी तथा निम्नलिखित के विषय में एक समयबद्ध कार्यक्रम तैयार करेगी :—

(क) संस्थापित क्षमता का अधिकतम उपयोग सुनिश्चित करना;

(ख) प्रचालन लागत पर समुचित नियंत्रण सुनिश्चित करना;

(ग) संयंत्र और उपस्कर के निवारक एवं पूर्वनिर्धारित अनुरक्षण में सुधार करना; और

(घ) प्रबन्धकीय एवं प्रचालन कार्यकुशलता बढ़ाना ।

5. सरकारी उद्यम कार्यालय विशेषज्ञ समिति के लिए सचिवालय सम्बन्धी सेवाएं प्रदान करेगा । विशेषज्ञ समिति अपनी प्रक्रियाएं स्वयं तैयार करेगी, जिसमें कार्यदलों का गठन तथा उनके विशिष्ट क्षेत्रों की जांच करने के लिए व्यक्तियों, विशेषज्ञों और परामर्शदाताओं का सहयोजन करना शामिल है । समिति उनसे यथावश्यक जानकारी एवं साक्ष्य मांग सकती है । भारत सरकार के मंत्रालय, विभागों और सरकारी उद्यमों को चाहिए कि वे समिति को यथावश्यक जानकारी, संलेख और सहायता प्रदान करें ।

6. समिति को अपना कार्य एक वर्ष के भीतर पूरा कर लेना चाहिए । समिति अलग-अलग उद्यमों और क्षेत्रों के विषय में अपनी रिपोर्ट समय-समय पर जब कभी पूरी हो जाएं, प्रस्तुत करे ।

आदेश

यह आदेश है कि यह संकल्प भारत के असाधारण राजपत्र के भाग 1, खण्ड 1 में प्रकाशित किया जाए ।

यह भी आदेश है कि इस संकल्प की प्रतिलिपि भारत सरकार के सभी मंत्रालयों, विभागों, सरकारी क्षेत्र के उपक्रमों, राज्य सरकारों। संघीय राज्य क्षेत्रों के प्रशासकों और अन्य सभी संबंधितों को भेजा जाए ।

वे. भ. ईश्वरन्, सचिव

MINISTRY OF FINANCE

(Bureau of Public Enterprises)

RESOLUTION

New Delhi, the 12th August, 1980

No. F. PR/53/79-PRODN.—Government are concerned that the physical and financial performance of Public Enterprises has not been commensurate with the expectations. In view of the important role assigned to the Public Sector in the economic development of the country, it is imperative that steps should be taken to improve the efficiency, production and generation of internal resources of Public Enterprises.

2. The problems confronting the Public Sector relate inter alia to the areas of managerial and organisational set-up, product-mix and profile of services rendered, management systems in various functional areas like Production Planning and Control, Materials Management, Financial Management, Personnel Management including Managerial Succession Arrangements and Industrial Relations, Marketing Management as well as Pricing-cum-Cost Policies and Performance Criteria. Some or many of these problems seem to affect different enterprises in varying degrees. A study of each enterprise in order to identify its problms and to draw up a time-bound programme of remedial action is, therefore, of crucial importance for improving the performance of the Public Sector. Government have accordingly decided to constitute an Expert Committee consisting of the following :

1. Shri Mohd, Fazal,
Member, Planning Commission ..Chairman

2. Shri K. S. Rajan,
Director General Technical
Development & Secretary,
Department of Technical
Development, Ministry of
Industry, New Delhi. ...Member

3. Dr. L. K. Bebl,
Chairman and Managing Director,
Indian Drugs and Pharmaceuticals
Ltd., New Delhi. ...Member

4. Director General, Bureau of Public
Enterprises and Additional
Secretary, Ministry of Finance
(Deptt. of Expenditure) ..Member-Secretary

3. The Expert Committee will examine the working of the following enterprises :

I. Coal Sector :

Coal India Ltd. and its 4 subsidiaries viz., Bharat Coking Coal Ltd., Central Coalfields Ltd., Eastern Coalfields, Western Coalfields, and also Neyveli\Lignite Corporation.

II. Steel Sector :

Steel Authority of India Ltd. (Bokaro, Bhilai, Durgapur, Rourkela, Durgapur Alloy Steel Plant) and also Indian Iron and Steel Co.

III. Shipping Sector :

Shipipng Corporation of India, and Mogul Lines Ltd.

IV. Fertilizer and Chemical Sector :

Fertilizer Corporation of India (Sindri, Gorakhpur, Ramagundam and Talcher), Hindustan Fertilizer Corporation (Namrup and Durgapur), National Fertilizers Ltd. (Nangal,

Nangal Expansion, Bhatinda and Panipat), FACT (Udyogmandal, Cochin I and Cochin II), Indian Petro-Chemicals Corporation Ltd.

V. Engineering Sector :

Heavy Engineering Corporation, Mining and Allied Machinery Corporation Ltd., Burn Standard, Braithwaite & Co. Ltd., Jessop & Co. Ltd., Indian Telephone Industries.

4. The Expert Committee will identify the steps necessary to improve performance of the Public Enterprises and will draw up a time-bound action programme directed to :

(a) ensuring maximum utilisation of installed capacity;

(b) ensuring adequate control of operational costs;

(c) improvement of preventive and predictive maintenance of plant and equipment; and

(d) improvemet in management and operational efficiency.

5. The Bureau of Public Enterprises will provide the Secretariat services for the Expert Committee. The Expert Committee will draw up its own procedures, including constitution of Working Groups and cooption of individual experts and Consultants to deal with specific areas of their examination. The Committee may call for such information and take such evidence as it may consider necessary. The Ministries|Departments and the Public Enterprises of the Government of India should furnish such information and documents and render such assistance as may be required by the Committee.

6. The Committee should complete its work within a year. It may submit its reports on individual enterprises|sectors from time to time, as and when they are completed.

ORDER

Ordered that the Resolution be published in the Gazette of India, Extraordinary, Part I, Section I.

Ordered also that a copy of the Resolution be communicated to all Ministries|Departments of the Government of India, Public Sector Undertakings, State Governments|Administrations of Union Territories and all others concerned.

V. B. ESWARAN, Secy.

PRINTED BY THE MANAGER, GOVT. OF INDIA PRESS, RING ROAD NEW DELHI-110064
AND PUBLISHED BY THE CONTROLLER OF PUBLICATIONS, DELHI-110054, 1980